झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 25.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्रीमती ममता देवी स0वि0स0 श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0**	झारखण्ड के सभी जिलों में मनरेगा के खाली पड़े पदों के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में नियोजित करने हेतु विज्ञापन संख्या– 01/2021–2022 के माध्यम से विभिन्न पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई। बहाली की सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सिर्फ परीक्षा होने बाकी थी। उसके बाद दिनांक– 30.11.2021 को मनरेगा आयुक्त के पत्रांक– सं0– (N) 1216, दिनांक– 04.10.21 के द्वारा सारी बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अतः झारखण्ड के सभी जिलों में मनरेगा के खाली पड़े पदों पर बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ करने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराती हूँ।	**ग्रामीण विकास**
02–	**श्रीमती सबिता महतो स0वि0स0**	सरायकेला खरसावां जिलान्तर्गत ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुकडू प्रखण्ड अवस्थित चौड़ा गाँव का राजकीयकृत उच्च विद्यालय जो लगभग पाँच वर्षो से अकारण बन्द कर दिया गया है। उक्त विद्यालय के अकारण बंद होने से स्थानीय छात्रायें कक्षा–8 के बाद आवागमन की परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई बंद	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

01.	02.	03.	04.
		करने को मजबूर हैं। मैं सदन को यह आश्वस्त करती हूँ कि उपरोक्त राजकीयकृत उच्च विद्यालय, चौड़ा लगभग पाँच वर्षो से बंद कर दी गयी है। अतः आसन के माध्यम से छात्रहित में मैं ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुकडू प्रखण्ड के चौड़ा गाँव में पाँच वर्षो से बंद पड़े राजकीयकृत उच्च विद्यालय को पुनः चालू करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूँ।	
03-	**श्री मथुरा प्रसाद महतो** **स0वि0स0** **श्री बिरंची नारायण** **स0वि0स0** **श्री संजीव सरदार** **स0वि0स0**	झारखण्ड विधान सभा के नवनिर्मित भवन के आसपास कोई भी सरकारी अस्पताल की सुविधा वर्त्तमान में उपलब्ध नहीं है। जिससे इस क्षेत्र के विस्थापितों के साथ-साथ विधान सभा के कर्मियों, पदाधिकारियों एवं माननीयों को आकस्मिक इलाज की जरूरत होने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। नए विधान सभा भवन से सदर अस्पताल की दूरी करीब 12 कि0मी0 और रिम्स की दूरी करीब 16 कि0मी0 है। झारखण्ड विधान सभा में मात्र 1 डिस्पेंसरी यूनिट है, जहाँ केवल फर्स्टएड और शुगर एवं बीपी का टेस्ट का जाँच मात्र की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन एक भी आक्सीजनयुक्त मेडिकल बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे कार्डिक अरेस्ट, इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो जाने पर काफी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नए विधान सभा के निकट झारखण्ड हाईकोर्ट का भी निर्माण हो रहा है और इसके बगल में झारखण्ड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित है साथ ही इसी के पास झारखण्ड मंत्रालय एवं सचिवालय सहित पुलिस मुख्यालय भी अवस्थित है और इसी क्षेत्र में राँची स्मार्ट सिटी को विकसित किया जा रहा है, जहाँ हजारों	**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण**

01.	02.	03.	04.
		मजदूर कार्यरत है, साथ ही साथ एचईसी के इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है और सैकड़ों कार्यालय अवस्थित है, जहाँ हजारों लोग कार्यरत हैं। अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि नवनिर्मित झारखण्ड विधान सभा परिसर के निकट 50 मेडिकल बेड का अस्पताल का निर्माण सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ करवाया जाय, ताकि उपरोक्त लोगों की जिन्दगी आकस्मिक स्थितियों में बचाई जा सके और इस क्षेत्र के रहने वालों के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्यरत हजारों लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।	
04-	**डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0**	दिनांक- 23.11.2004 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति/तेली (कोल्ह) एवं घटवार/घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु झारखण्ड सरकार ने अपनी अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजा था, किन्तु अब तक इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सका। ज्ञातव्य है कि दिनांक- 24 मार्च 2005 को झारखण्ड में महामहिम राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रजी ने भी विधान सभा के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की वकालत की हैं। प्रख्यात मानव शास्त्री विद्वान एच0एच0 रिजले के एथनोग्राफिक रिसर्च रिर्पोट में भी तत्कालीन छोटानागपुर एवं उड़ीसा के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति माना है। सन् 1891-92 "The Tribes and castes of Bengal" नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। झारखण्ड के कुरमी/कुड़मी (महतो) सचमुच जनजाति है और ये स्पष्ट रूप से टोटेमिक है जिनकी भाषा संस्कृति	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

01.	02.	03.	04.
		परम्परा, रहन–सहन, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पूर्णतः अनुसूचित जनजाति से शत प्रतिशत मिलत–जुलता है। 1913 में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–550, दिनांक– 2 मई 1913 जो गजट ऑफ इण्डिया के पेज नं0–471 में प्रकाशित है। इस अधिसूचना में तत्कालीन बिहार एवं उड़ीसा प्रदेश में रहने वाले 13 जातियों को जनजाति माना है जिसमें कुरमी/कुड़मी (महतो) भी शामिल है। 1931 में बिहार, उड़ीसा सरकार ने भी भारत सरकार के उक्त अधिसूचना सं0–550, दिनांक– 2 मई 1913 में दर्ज 13 जनजातियों को जनजाति स्वीकार करते हुए 8 दिसम्बर 1931 को अधिसूचना सं0–3563J के द्वारा भी राज्य के कुरमी/कुड़मी (महतो) को जनजाति माना है तथा इन्हें भारतीय उत्तराधिकार कानून 1865 एवं 1925 के प्रावधानों से मुक्त रखा है। किन्तु बिना किसी कारण भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की सूची में कुरमी/कुड़मी (महतो) को जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है और इन्हें पिछड़ा वर्ग–1 में शामिल किया गया है। विगत 9 सितम्बर 2021 को माननीय सदस्य श्री जे0पी0 भाई पटेल के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में सरकार से आश्वासन मिला था कि फिर से इन्हें जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार से पत्राचार करेंगे किन्तु सरकार द्वारा अबतक सदन में आश्वासन के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से अभिस्ताव करता हूँ कि दिनांक– 23.11.2004 को झारखण्ड सरकार मंत्रिपरिषद् द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति/तेली (कोल्ह) एवं घटवार/घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करता हूँ।	

01.	02.	03.	04.
05–	**श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्रीमती पुष्पा देवी स0वि0स0**	राज्य के प्रखण्ड मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय में सरकार कई पदों पर नियमित नियुक्ति न कर अनुबन्ध/संबिदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्सिंग के साथ–साथ में मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों/ दर्जा प्राप्त मंत्रियों/सचेतकों/विधायकों एवं सभापतियों के निजी स्थापना में नियुक्त वाह्य व्यक्ति सेवा के कर्मियों को नियुक्त कर सरकार सेवाएँ तो लेती है। परन्तु उक्त कर्मियों से सम्बंधित राज्य में अबतक सरकार **सेवा शर्त्ते व नियुक्ति नियमावली** का गठन नहीं की है जिसके कारण उक्त **कर्मियों की आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु** होने पर सरकार स्तर पर उसके परिजनों को सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जाता है उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मियों से सम्बंधित नियमावली के गठन हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में **कार्मिक विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 4011, दिनांक– 18.08.2020** को एक **उच्चस्तरीय समिति** का गठन की गई परन्तु 18 माह बीतने के बावजूद उक्त समिति द्वारा उक्त संबंध में अबतक कोई निर्णय नहीं लिया गया जबकि राज्य **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** ने अपने **पत्रांक– 0159, दिनांक– 25.04.2017** को राज्य के **तत्कालीन मुख्य सचिव को राज्य मंत्रिमंडल सहित सभी विभागों एवं स्वायत्त परिषदों में** नियुक्त उक्त कर्मियों को **कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 अन्तर्गत उक्त लाभ** देने से सम्बंधित पत्र निर्गत करने के बावजूद सरकार द्वारा उक्त मामले को अबतक लम्बित रखी गई है जिसके कारण उक्त कर्मियों को उक्त लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

राँची,
दिनांक– 25 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030–

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-1556/वि0 स0, राँची, दिनांक- 24/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/22

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-1556/वि0 स0, राँची, दिनांक- 24/03/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/03/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

24/03/22